

प्रेषक

प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

सेवा में

निदेशक,
कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण,
हरियाणा, एस.सी.ओ.नं: 803, मनीमाजरा,
यू0टी0, चण्डीगढ़।

यादी क्रमांक: 10/70/2012-5 श्रम/FTMS-18096
दिनांक, चण्डीगढ़ 27.9.2016

विषय:- **Tie up of private hospital for secondary care treatment for Insured Persons of ESI Corporation.**

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक 1/336-ई.एस.आई.-2जी-2016/158, दिनांक 14.9.2016 के संदर्भ में।

2. सरकार आपके प्रस्तावानुसार हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा Tie up किये गये सभी Private Hospitals for Secondary Care (as amended from time to time) के माध्यम से राज्य के सभी बीमाकृत व उनके आश्रितों को आपातकालीन स्थिति को छोड़ कर रेफरल प्रक्रिया अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हिदायतें एवं निर्धारित भावदर के तहत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सहमत है।

अधीक्षक श्रम

कृते: प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

3

11235
28.9.16

Renew
27/9

28.9.16

69